

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासना।

सेवा में,

1- निदेशक,  
पंचायतीराज,  
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक- 18 अगस्त, 2020

विषय-पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि का अंश का वितरण एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों के निर्धारण विषयक।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे आपसे कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की कतिपय संस्तुतियां लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतः राज्य वित्त आयोग के संस्तुतियों के आधार पर जिला, पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में सम्यक विचारपरान्त निम्नवत् मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये जाते हैं:-

2- पंचायतीराज संस्थाओं का अंश एवं धन वितरण का फार्मूला:-

2.1- पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं हेतु अवमुक्त धनराशि का जनपदवार विभाजन 90 प्रतिशत जनसंख्या (2011) तथा 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा।

2.2- राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्रामीण निकायों को अन्तरित की जाने वाली धनराशि का बटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य 15:15:70 के अनुपात में किया जायेगा।

2.3- जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतों हेतु उपलब्ध कुल संक्रमित धनराशि का बटवारा जनपद की ग्राम पंचायतों के मध्य 90:10 के सिद्धान्त पर 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या तथा 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या का भार देते हुए किया जायेगा।

2.4- उपरोक्तानुसार क्षेत्र पंचायत हेतु उपलब्ध कुल धनराशि का बटवारा क्षेत्र पंचायतों के मध्य 90:10 के सिद्धान्त पर 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या तथा 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की संख्या को भार देते हुए किया जायेगा।

2.5- जिला पंचायत हेतु उपलब्ध कुल संक्रमित धनराशि का बटवारा प्रदेश की जिला पंचायतों के मध्य 90:10 के सिद्धान्त पर 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या तथा 10 प्रतिशत क्षेत्रफल का भार देते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रगणिकता वेब साइट <http://shasanaदेश.un.nv.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान हेतु धनराशि का निर्धारण:-

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण अध्ययन, भ्रमण, शोध तथा प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक आवर्ती व्यय के लिए वार्षिक निमाया हेतु प्रतिवर्ष संकल्पित की जाने वाली धनराशि में से राज्य स्तर पर पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान हेतु 0.15 प्रतिशत धनराशि मावाकृत की जायेगी। यह मावाकृत धनराशि व्ययगत (लैफ्ट) या व्यावर्तित (डाइवर्ट) नहीं होगी।

4- संकल्पित की जाने वाली धनराशि के व्यय के मार्गदर्शक सिद्धान्तः-

संकल्पण की जाने वाली धनराशि से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतें निम्नानुसार कार्य करा सकेंगी :-

- (i) शासकीय भवनों का रख-रखाव।
- (ii) स्ट्रीट लाइट।
- (iii) खुले से शौच से मुक्ति (ओडीओएफओ)।
- (iv) शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों के विद्युत-देयकों का भुगतान।
- (v) पंचायत की सड़कों का निर्माण एवं रख-रखाव।
- (vi) पेयजल योजनाओं का निर्माण व रख-रखाव।
- (vii) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन।
- (viii) सामुदायिक शौचालयों/जन सुविधायें।
- (ix) अन्त्येष्टि स्थल की बाउन्ड्री।

ग्रामीण शासकीय विद्यालयों में भव्यता सुविधाओं का विकास केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया जाता है। चूंकि केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि पंचायत घर के निर्माण पर केन्द्रित की जा रही है, इसलिए राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत जो धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है उससे स्कूलों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चोत्कर्ष/विकास को वरीयता दी जाएगी।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय विद्यालयों में मनरेगा योजना के अन्तर्गत शौचालय निर्माण, बाउन्ड्रीवाल का निर्माण, वृक्षारोपण, खेलकूद के मैदान का विकास कार्य अनुमन्य है। अतः उपरोक्त मदों में कार्य मनरेगा से भी कराया जा सकता है।

उक्त कार्यों के साथ-साथ ग्राम पंचायतें पंचायती राज अधिनियम, 1947 के अध्याय-4 की धारा-15 में उल्लिखित कार्यों को भी आवश्यकतानुसार करा सकेंगी।

5- क्षेत्र पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में धारित होने के पश्चात् ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कराया जायेगा। उक्त कार्य का सम्पूर्ण दायित्व सचिव, क्षेत्र पंचायत का होगा। क्षेत्र पंचायतों द्वारा कार्यों का अनुमोदन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

6- जिला पंचायतें पंचम राज्य वित्त संस्तुतियों के अन्तर्गत अंतरित धनराशि को अपने कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन आदि पर खर्च कर सकेंगी। केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के सेवानिवृत्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रतिलिपि वेब साइट <http://shasanadeshaurg.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन वकाये के लिए जिला पंचायतों के लिए अंतरित धनराशि का 1:0 प्रतिशत इस हेतु गठित परिक्रामी निधि में दिया जायेगा। जिला पंचायतें संक्रमित धनराशि का न्यूनतम 5 प्रतिशत धनराशि अपनी सम्पत्तियों के रख-रखाव एवं सृजन पर व्यय करेंगी। नवसृजित जिला पंचायतें जहाँ पर कार्यालय भवन उपलब्ध नहीं हैं शासन की स्वीकृति के उपरान्त कार्यालय भवन निर्मित करने हेतु आवश्यक धनराशि का व्यय कर सकेंगी।

7- पंचायतें अपने स्वामित्व वाले गो-अश्रय स्थलों के विकास व संचालन हेतु आवश्यक धनराशि का व्यय राज्य वित्त आयोग की धनराशि से करेंगी।

8- विस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों को सम्पन्न एवं सुविधायें:-

इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-11/13/33-2-2006-34 जी०/०१ टी० सी०-11, दिनांक-20/03/2006 एवं शासनादेश संख्या-6368/33-2-2006-34 जी०/2001 टी० सी०-11, दिनांक-26/12/2006 तथा शासनादेश संख्या-02/33-2-2014-34 जी० /01 टी० सी०, दिनांक-07.01.2014 एवं शासनादेश दिनांक-22.11.2016 प्रभावी रहेगा। विस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों को सुविधाएं प्रदान किये जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय की धनराशि ग्राम, पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत क्रमशः अपनी गांव निधि, क्षेत्र निधि तथा जिला निधि में जमा धनराशि, जिसमें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों को (संक्रमित) की जाने वाली धनराशि भी सम्मिलित है, से वहन कर सकेंगी तथा इसके लिए पृथक से कोई बजट आवंटित नहीं किया जायेगा।

9- पी०एफ०एम०एस० की व्यवस्था लागू करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही मेकर, चेकर व अप्रूवर द्वारा की जायेगी-

क्रमांक	शामीण तिकारा	मेकर	चेकर	अप्रूवर
1.	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत सचिव	ग्राम पंचायत, प्रधान	सहायक विकास अधिकारी (प०)
2.	क्षेत्र पंचायत	खण्ड विकास अधिकारी	क्षेत्र पंचायत, प्रमुख	मुख्य विकास अधिकारी
3.	जिला पंचायत	अपर, मुख्य अधिकारी	अध्यक्ष, जिला पंचायत	निदेशक, पंचायती राज।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाना है कि पी०एफ०एम०एस० की व्यवस्था धनराशि के अन्तरण के लिए ही है। वित्तीय, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त होने के उपरान्त ही पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से धनराशि अन्तरित की जानी चाहिए।

10- यह धनराशि खाता-ग्राम निधि-6 में रखी जायेगी, चूंकि 15वें वित्त आयोग के लिए पृथक खाता खोला गया है, अतः यह खाता केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि व्यय हो जाने के उपरान्त राज्य वित्त आयोग के लिए संचालित होगी। अतः राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट-<http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संक्रमित की जा रही धनशायियों के उपयोग के सम्बन्ध में उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक: तदैंव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजिए:

1. निजी सचिव, मा० मंत्री पंचायतीराज विभाग, 30प्र०।
2. महालेखाकार, 30प्र० इलाहाबाद।
3. प्रमुख स्टॉफ अधिकारी, मुख्य सचिव, 30प्र० शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, 30प्र० शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, 30प्र० शासन।
6. स्टॉफ ऑफिसर कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र० शासन।
7. समस्त मण्डलायुक्त, 30प्र०।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र०।
9. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र प्रमुख एवं ग्राम प्रधान, 30प्र०।
10. समस्त जिलाधिकारी, 30प्र०।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, 30प्र०।
12. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (प०), 30प्र०।
13. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, 30प्र०।
14. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, 30प्र०।
15. समस्त जिला कोषाधिकारी, 30प्र०।
16. समस्त सहायक विकास अधिकारी (प०), 30प्र०।
17. वित्त (वित्त नियन्त्रण) अनुभाग-2, 30प्र० शासन।
18. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-2, 30प्र० शासन।
19. वित्त (संसाधन) आयोग अनुभाग, 30प्र० शासन।
20. पंचायतीराज अनुभाग-1/2, 30प्र० शासन।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणांकित पेव साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।